सं0सं0–7/सदर–23–01/2017– 134(7)ब

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन (संलग्न विवरणी के अनुसार)
अधीक्षक, एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया ।
अधीक्षक, गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी ।

पटना, दिनांक 17-01-, 2018

विषयः– स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या–20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष–2210 –चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी– 110–अस्पताल तथा औषधालय–0013–सदर एवं अनुमंडल अस्पताल उपशीर्ष विपत्र कोड– 20–2210011100013 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–2018 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹18,35,11,322/– (अटठारह करोड़ पैतीस लाख ग्यारह हजार तीन सौ बाईस रू0) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या–18(7)ब दिनांक–15.05.17, 24(7)ब दिनांक–31.05.17, 56(7)ब दिनांक–07.09.17, 73(7)ब दिनांक–25.09.17, 81(7)ब दिनांक–25.09.17, 84(7)ब दिनांक–09.10.17, 89(7)ब दिनांक–16.10.17, 111(7)ब दिनांक–11.12.17, 126(7)ब दिनांक–03.01.18 129(7)ब दिनांक–11.01.18 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–2018 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹18,35,11,322/– (अटठारह करोड़ पैतीस लाख ग्यारह हजार तीन सौ बाईस रू0) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न) ।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक–2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक–04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या–20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–0013–सदर एवं अनुमंडल अस्पताल उपशीर्ष विपत्र कोड– 20–2210011100013 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–2018 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. सामग्री एवं पूर्तियॉ, मशीने एवं उपस्कर, दवा भंडार एवं दूरभाष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित सिविल सर्जन / अधीक्षक, एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया, / अधीक्षक, गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी तथा शेष इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सदर अस्पताल के अधीक्षक एवं उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल एवं गर्दनीबाग अस्पताल, पटना/ निदेशक / प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, न्यू गार्डिनर रोड, पटना होंगे तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

5. संबंधित सिविल सर्जन को निदेश दिया जाता है कि आवंटित राशि को अपने अधिनस्थ सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल एवं सदर प्रमंडलीय अस्पतालों में कार्यरत बल के आधार पर राशि का उपावंटन करेंगे तथा उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे । इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी । इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी । एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे।

6. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीध्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/ क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।

2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

7. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।

9. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक–15.03.2001, 241(9) दिनांक–21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक–16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

10. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

11. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है।

12. सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में आवंटित राशि से सतरंगी चादर संबंधित भुगतान की राशि भी सम्मिलित है ।

13. संविदा सेवाएँ (28–02) इकाई के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अस्पताल के अधीक्षक/उपाधीक्षक होंगे ।

14. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

15. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

(signature) 17/1/18

(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 134(7)9 पटना, दिनांक : 17-01-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी–7/ आई.टी.मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

(signature)

सरकार के विशेष सचिव 17/1/18

विवरणी–I

वित्तीय वर्ष 2017–2018 में बिहार स्थित सदर अस्पताल/अनुमंडल अस्पताल/ सदर प्रमंडलीय अस्पतालों (विपत्र कोड–20–2210011100013) का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों के लिए अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	यात्रा व्यय (11–01)	वाहन का ईंधन एवं रखरखाव (13–02)	दूरभाष (13–03)	विद्युत प्रभार (13–04)	विधि प्रभार (13–05)	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21–01)	दवा भंडार (21–02)	आहार/पथ्य (21–03)	संविदा सेवाएँ (28–02)	मशीनें एवं उपस्कर (52–01)	अनुग्रह अनुदान (37–01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	शिवहर	1300000	1807000	611000	13000	19000	3750000	25000	0	0	0	0	0	700000	0	0	0	0	0	4475000	1161/13.11.17
2	मोतिहारी	3500000	6300000	2800000	31500	70000	12701500	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	5000000	0	0	17901500	3268/29.12.17
3	सहरसा	3500000	6300000	2800000	31500	70000	12701500	0	0	0	0	200000	0	0	0	2000000	3000000	0	0	17901500	2368/29.11.17
4	बेतिया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	500000	0	1000000	0	2500000	2384/11.12.17
5	एम0जे0के0 अस्प0, बेतिया	0	0	0	0	0	0	0	100000	120000	0	200000	200000	500000	5000000	2000000	5000000	500000	0	13620000	1199/6.11.17
6	सीतामढ़ी	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	5000000	0	6000000	0	0	11020000	3064/14.12.17
7	नालन्दा	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	200000	0	0	5000000	2000000	6000000	0	0	13300000	3053/24.10.17
8	पूर्णिया	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	150000	0	0	0	2000000	2000000	0	0	4200000	3178/14.12.17
9	सिवान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	1000000	0	5000000	500000	0	6900000	2080/18.12.17
6	वैशाली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	5000000	0	0	6000000	2293/16.12.17,1953/10.10.17
7	नवादा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	0	0	0	0	0	800000	3185/27.11.17
8	अररिया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	3000000	500000	5000000	500000	0	9200000	1762/12.12.17
9	भागलपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	0	200000	3000000	0	5000000	0	0	8235000	3109/30.10.17
10	छपरा, सारण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	300000	1964/25.9.17
11	अरवल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	3000000	0	0	0	0	3100000	1011/23.10.17
12	औरंगाबाद	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	350000	0	0	0	0	500000	4000000	0	0	4870000	2649/29.11.17
13	मधुबनी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	3000000	0	0	400540	0	3700540	2864/5.12.17
14	शेखपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	200000	0	0	0	500000	0	725000	1209/25.10.17
15	रोहतास	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	30000	0	0	200000	3000000	0	5000000	0	0	8380000	2521/1.11.17
16	समस्तीपुर	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	500000	4000000	0	0	4550000	2546/7.12.17
17	बक्सर	0	0	0	0	0	0	1873251	0	0	0	0	0	0	0	200000	700000	0	0	2773251	2627/7.12.17, 1823/22.8.17
18	कटिहार	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	56531	0	300000	5000000	0	5000000	500000	0	10876531	2072/14.12.17
19	भोजपुर	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	3000	300000	5000000	400000	6000000	500000	0	12253000	3912/16.12.17
20	कैमूर	0	0	0	0	0	0	0	50000	150000	0	0	0	200000	5000000	500000	0	500000	0	6400000	1469/15.12.17
21	जमुई	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	1000000	0	0	500000	0	1900000	3006/22.12.17
22	किशनगंज	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	400000	0	0	0	430000	2496/7.12.17,
23	जहानाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	4000000	0	0	500000	0	4700000	2238/24.10.17
24	बेगुसराय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	2765/27.11.17
24	गुरु गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	1000000	0	1000000	0	0	0	2100000	1070/12.12.17
	कुल	8300000	14407000	6211000	76000	159000	29153000	1898251	590000	420000	415000	1106531	228000	7200000	52000000	12500000	71700000	5900540	400000	183511322	

(अठारह करोड़ पैंतीस लाख ग्यारह हजार तीन सौ बाईस) रू. मात्र

134(7)a
17-01-18

सरकार के विशेष सचिव 17/1/18
बिनोद

D:\Bug 2017 18 Aliot\Binod\Sadar 17 18 8Divi Hosp

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0013–01–01)	1014647000	1004600000	8300000	1012900000	1747000
2	जीवन यापन भत्ता (0013–01–03)	1420505000	1403800000	14407000	1418207000	2298000
3	मकान किराया भत्ता (0013–01–04)	507323000	499264000	6211000	505475000	1848000
4	परिवहन भत्ता (0013–01–05)	411000	359000	0	359000	52000
5	चिकित्सा भत्ता (0013–01–06)	8954000	8794600	76000	8870600	83400
6	अन्य भत्ता (0013–01–07)	20292000	19950000	159000	20109000	183000
7	त्यौहार अग्रिम (0013–01–08)	1000000	0	0	0	1000000
	योग 20-2210.01.110.0013.01 वेतन	**2973132000**	**2936767600**	**29153000**	**2965920600**	**7211400**
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0013–06–01)	3572000	1535624	1898251	3433875	138125
9	यात्रा व्यय (0013–11–01)	2530000	1660000	590000	2250000	280000
10	कार्यालय व्यय (0013–13–01)	9006000	9006000	0	9006000	0
11	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0013–13–02)	3930000	2105000	420000	2525000	1405000
12	दूरभाष (0013–13–03)	5000000	2915000	415000	3330000	1670000
13	विद्युत प्रभार (0013–13–04)	58520000	57406000	1106531	58512531	7469
14	विधि प्रभार (0013–13–05)	1000000	674367	228000	902367	97633
15	वर्दी/ पोषाक (0013–13–06)	997000	997000	0	997000	0
16	विद्युत प्रभार डी.पी.एस. (0013–13–07)	1000	0	0	0	1000
17	किराया महसूल एवं कर (0013–14–01)	1810000	1810000	0	1810000	0
18	प्रशिक्षण व्यय (0013–20–03)	25528000	0	0	0	25528000
19	सामग्री एवं पूर्तियॉ (0013–21–01)	27000000	16670000	7200000	23870000	3130000
20	दवा भंडार (0013–21–02)	395000000	325650000	52000000	377650000	17350000
21	आहार/ पथ्य (0013–21–03)	220000000	111834622	12500000	124334622	95665378
22	लघु कार्य (0013–27–01)	1000	0	0	0	1000
23	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0013–27–02)	50000000	8296000	0	8296000	41704000
24	संविदा सेवाएँ (0013–28–02)	1100656000	868644500	71700000	940344500	160311500
25	अनुग्रह अनुदान (0013–37–01)	401000	0	400000	400000	1000
25	मशीने एवं उपस्कर (0013–52–01)	127600000	52250580	5900540	58151120	69448880
	कुल योगः–	**5005684000**	**4398222293**	**183511322**	**4581733615**	**423950385**

134(7)9
17-01-18

सरकार के विशेष सचिव 17/1/18